

आदेश दिनांक 25.12.12

न्यायालय उपजिलाधिकारी पटियाली, जनपद कासगंज।

नं. मुं 05/2012-2013

धारा - 143 जैडए. एक्ट

मौजा - बाजीदपुर

परगना - सिद्धपुरा

एस.एन. कॉलेज आफ हायर एजुकेशन द्वारा सचिव अबोध चतुर्वेदी  
बनाम

राज्य सरकार


निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री अबोध चतुर्वेदी सचिव एस.एन. कॉलेज आफ हायर एजुकेशन हाल निवासी कुतबपुर सराय परगना व तहसील पटियाली द्वारा इस आशय के साथ दायर किया गया है कि गाटा संख्या 134संकमणीय रकवा 1.782 में से 0.305 है0 भूमि में प्रार्थी सहखातेदार है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि रकवा 0.305 है0 पर हायर एजुकेशन हेतु भवन निर्माण करना चाहता है।

अतः रकवा पर कृषिकार्य नहीं हो रहा है तहसीलदार पटियाली से जाँच आख्या चाही गयी।

तहसीलदार पटियाली ने अपनी आख्या न्यायालय में दिनांक 22.12.12 को प्रस्तुत की है।

मेरे द्वारा तहसीलदार पटियाली की आख्या दिनांक 22.12.12 का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा बाजीदपुर के गाटा संख्या 134संकमणीय रकवा 0.305 है0 का आवेदक अपने रकवा पर कृषिकार्य नहीं कर रहा है। संकमणीय भूमिधर रकवा 0.305 पर एस.एन. कॉलेज आफ हायर एजुकेशन द्वारा सचिव अबोध चतुर्वेदी पुत्र एस.एन. चतुर्वेदी निवासी 1305 स्टेशन रोड नई बस्ती शिकोहाबाद हाल निवासी कुतबपुर सराय परगना व तहसील पटियाली के नाम भू अभिलेखों में आबादी दर्ज होने योग्य है।



तहसीलदार पटियाली की आख्या दिनांक 22.12.12 स्वीकार की जाती है मौजा बाजीदपुर के गाटा संख्या 134सं0/ 0.305 है0 पर आबादी एस.एन. कॉलेज आफ हायर एजुकेशन द्वारा सचिव अबोध चतुर्वेदी पुत्र एस.एन. चतुर्वेदी निवासी 1303 स्टेशन रोड नई बस्ती शिकोहाबाद हाल निवासी कुतबपुर सराय परगना व तहसील पटियाली के नाम भू-अभिलेखों में आबादी दर्ज हो। परवाना अमल दरामद जारी हो/पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आबी का नाम 330/2012-2013  
तारीख मुद्रा 7.12  
रायत संख्या 176  
सर्वनाम का दिनांक 25.12.12  
कार्य का दिनांक 25.12.12  
दस्तावेज का दिनांक 25.12.12  
बादी कर के दिनांक 25.12.12

sd  
उपजिलाधिकारी  
पटियाली।  
25/12/12